

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प होसलिपानेवा

क्रमांक: राजस्व/2021/

दिनांक : / /2021

122/2021

आदेश

आवेदक श्री रामरख ने तहसील कोटखावदा में ग्राम कनकटा स्थित आराजी ख.न. कनकटा रकबा कनकटा के संबंध में जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 171, 24 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम कनकटा की जमाबन्दी के खाता संख्या 171, 24 की प्रविष्टि के स्थान पर रामरख पुत्र कल्याण शीवा किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का महोदेवपुरा की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री रामरख पुत्र श्री कल्याण शीवा जाति शीवा निवासी कनकटा तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 171, 24 में अंकित प्रविष्टि रिखा पुत्र कल्याण के स्थान पर रामरख पुत्र कल्याण कल्याण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

शिविर प्रभारी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दिनांक : 02/12/2021

क्रमांक: राजस्व/2021/3603

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार कोटखावदा
2. पटवारी हल्का कनकटा

शिविर प्रभारी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)